



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 282 राँची, शुक्रवार, 27 वैशाख, 1946 (श०)
17 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

20 फरवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-51/2023 का.-21127 (HRMS)--श्री राधेश्याम प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-835B/03, गृह जिला- नवादा), तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाकुड़ के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-3726, दिनांक 08.09.2023 के माध्यम से उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-420, दिनांक 25.07.2023 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। आरोप पत्र में श्री प्रसाद के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(i). श्री प्रसाद द्वारा बिना अवकाश आवेदन समर्पित किये एवं तत्कालीन उपायुक्त के अनुमति प्राप्त किये दिनांक 06.04.2019 को मुख्यालय से बाहर चले गये एवं दिनांक 09.04.2019 को मुख्यालय वापस लौटें। अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में पत्रांक-225/गो०, दिनांक 06.04.2019 से पूछे गये स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में इनके द्वारा सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय से बाहर रहने संबंधी बात को स्वीकार किया गया है।

(ii). श्री प्रसाद के द्वारा दिनांक 25.05.2019 से 31.05.2019 तक की अवधि के आकस्मिक अवकाश स्वीकृति हेतु समर्पित आवेदन को माननीय मुख्यमंत्री की प्रस्तावित समीक्षात्मक बैठक के मद्देनजर अस्वीकृत करते हुए तत्संबंधी सूचना इन्हें मोबाईल पर दी गयी। इसके बावजूद भी श्री प्रसाद द्वारा अनधिकृत रूप से मुख्यालय छोड़ते हुए उक्त अवधि का अवकाश के रूप में उपभोग कर लिया गया। इस संबंध में पत्रांक-459/गो०, दिनांक 27.05.2019 से माँगे गये स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में इनके द्वारा अपने पत्रांक-207/जि०ग्रा०, दिनांक 03.06.2019 से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जो संतोषप्रद नहीं पाया गया ।

(iii). श्री प्रसाद के द्वारा पुनः दिनांक 21.06.2019 से 22.06.2019 तक की अवधि का आकस्मिक अवकाश का आवेदन देकर मुख्यालय से बाहर रहे। उक्त अवकाश आवेदन पर तत्कालीन उपायुक्त द्वारा "Returned on 23rd" अंकित किया गया, परन्तु श्री प्रसाद दिनांक 21.06.2019 से 31.07.2019, कुल-41 (इक्तालीस) दिन तक लगातार अनधिकृत रूप से मुख्यालय से बाहर रहे ।

(iv). कार्यालय आदेश ज्ञापांक-327/गो०, दिनांक 09.04.2018 द्वारा पथ निर्माण कार्य की जाँच हेतु श्री प्रसाद की अध्यक्षता में जाँच दल का गठन करते हुए दिनांक 15.04.2019 तक जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु श्री प्रसाद द्वारा जाँच कार्य में विलंब करते हुए पत्रांक-2631/जि० ग्रा०, दिनांक 22.04.2019 द्वारा अस्पष्ट जाँच प्रतिवेदन दिनांक 26.04.2019 को उपलब्ध कराया गया। तत्पश्चात् स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पुनः कार्यालय पत्रांक-329/गो०, दिनांक 29.04.2019 से उक्त पथ कार्य की पुनः जाँच हेतु पाँच बिन्दु निर्धारित करते हुए जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश श्री प्रसाद को दिया गया, परन्तु इनके द्वारा अब तक जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया ।

(v). कार्यालय आदेश ज्ञापांक-353/गो०, दिनांक 04.05.2019 से तालाब जिणोद्धार का कार्य जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु श्री प्रसाद की अध्यक्षता में जाँच दल का गठन करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया, परन्तु इनके द्वारा अब तक जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6780, दिनांक 05.12.2023 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री प्रसाद के पत्र, दिनांक 12.12.2023 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i). दिनांक-06.04.2019 को मुख्यालय से बाहर जाने के संबंध में उसी समय प्राप्त स्पष्टीकरण का प्रत्युत्तर समर्पित किया गया था। उस समय तत्कालीन उपायुक्त से कई बार मिलने का प्रयास के बावजूद व्यक्तिगत रूप से भेंट नहीं होने के कारण लिखित आवेदन देकर अतिआवश्यक कार्यवश इन्होंने मुख्यालय छोड़ा था एवं अवकाश से वापस लौटते ही उपायुक्त से व्यक्तिगत रूप से मिलकर वस्तुस्थिति से अवगत कराए थे, जिस पर उपायुक्त महोदय द्वारा संतोष व्यक्त किया गया था ।

(ii). दिनांक-25.05.2019 से 31.05.2019 तक की अवकाश अवधि के संबंध में प्राप्त स्पष्टीकरण का प्रत्युत्तर इनके द्वारा तत्काल उसी समय दिया गया था। उक्त अवकाश हेतु इन्होंने दिनांक-19.05.2019 को ऑनलाईन आवेदन करते हुए तत्कालीन उपायुक्त से कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलने का प्रयास किया गया था, परन्तु असफल रहने के उपरान्त अतिआवश्यक पारिवारिक कारणों से ये उक्त अवधि में अवकाश पर गये थे। उपायुक्त, महोदय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए स्थगित वेतन विमुक्त किया गया था ।

(iii). दिनांक-21.06.2019 से 22.06.2019 तक की अवधि का आकस्मिक अवकाश हेतु दिनांक-19.06.2019 को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् अवकाश में प्रस्थान किया था। ऑनलाईन आवेदन पर तत्कालीन उपायुक्त का "Returned on 23rd" अंकित नहीं है, बल्कि Pending अंकित है। जहाँ तक दिनांक-21.06.2019 से 31.07.2019 तक कुल-41 (इक्तालीस) दिन तक लगातार अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से बाहर रहने प्रश्न है। इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त अवधि में चिकित्सीय कारणों से डाक्टर के परामर्शानुसार सदर अस्पताल, राँची में ईलाजरत था एवं इस अवधि में ये ससमय अवकाश की सूचना उपायुक्त, पाकुड़ को दिया था। उक्त अवकाश की स्वीकृति हेतु उपायुक्त, पाकुड़ (पत्रांक-18/जि०ग्रा० दिनांक-08.01.2020) द्वारा चिकित्सीय आधार पर दिनांक-21.06.2019 से 31.07.2019 तक की अवकाश को अर्जित अवकाश में स्वीकृति हेतु अनुशंसा के साथ कार्मिक विभाग को अग्रसारित की गई थी, जिस पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या-1208 दिनांक 14.02.2020 द्वारा उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

(iv). उपायुक्त, पाकुड़ का आदेश ज्ञापांक-237/गो० दिनांक-09.04.2019 द्वारा इनकी अध्यक्षता में "पथ निर्माण कार्य संबंधी जाँच" हेतु गठित त्रिस्तरीय संयुक्त दल के आलोक में उक्त जाँच को शीघ्रतापूर्वक जाँच कर प्रतिवेदन पत्रांक-236/जि०ग्रा०, दिनांक-22.04.2019 द्वारा समर्पित किया गया है। पुनः उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-329/गो०, दिनांक-29.04.2019 के आलोक में इनकी अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय संयुक्त दल के द्वारा पुनः जाँच किया गया। तदनुसार बिन्दुवार जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-603/जि०ग्रा०, दिनांक-24.08.2019 द्वारा उपायुक्त, पाकुड़ को समर्पित किया गया है ।

(v). उपायुक्त, पाकुड़ के आदेश संख्या-353/गो० दिनांक-04.05.2019 के आलोक में तालाब जिणोद्धार कार्य का जाँच कर जाँच दल का प्रतिवेदन पत्रांक- 322/जि०ग्रा०, दिनांक-12.06.2019 द्वारा शीघ्र ही समर्पित किया जा चुका है ।

3. उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक- 22/स्था०, दिनांक-09.01.2023 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को भेजे गये प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि ज्ञापांक-237/गो० दिनांक-09.04.2019 एवं 353/गो०, दिनांक-04.05.2023 द्वारा श्री प्रसाद को विभिन्न योजनाओं की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसके आलोक में श्री प्रसाद द्वारा संबंधित योजनाओं के

जाँचोपरान्त प्रतिवेदन समर्पित करते हुए दिये गये निदेश का अनुपालन कर लिया गया है। दिनांक- 25.05.2019 से 31.05.2019 तक की अवधि का स्थगित वेतन इस चेतावनी के साथ विमुक्त करने का आदेश दिया गया है कि भविष्य में इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।

4. श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं योजनाओं से संबंधित जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने से संबंधित सभी आरोप वर्ष 2019 का है, परन्तु आरोप पत्र का गठन 04 वर्षों के पश्चात् की गयी है। श्री प्रसाद के अनुसार संबंधित मामले में उनका स्पष्टीकरण स्वीकार किया जा चुका है एवं अनुपस्थित अवधि दिनांक 01.06.2019 से दिनांक 31.07.2019 तक कुल 41 दिन का अर्जित अवकाश उपायुक्त के अनुशंसा पर विभाग द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

5. अतः समीक्षोपरांत श्री राधेश्याम प्रसाद, तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाकुड़ द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए उन्हें भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री राधेश्याम प्रसाद, झां०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RADHE SHYAM PRASAD BHR/BAS/3921	श्री राधेश्याम प्रसाद, झां०प्र०से० (कोटि क्रमांक-835B/03, गृह जिला- नवादा), तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाकुड़ द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए उन्हें भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
